

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांक:- आ.प्र. एवं सहा./अग्नि/आ. बिजली/2019-20/ 3090

दिनांक: 31 / 03 / 2021

:- भुगतान स्वीकृति आदेश :-

तहसील कार्यालय छोटीसादड़ी द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्रों में आकाशीय बिजली से मकान क्षति के पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंसा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाये गये है। अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार छोटीसादड़ी की अनुशंसा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04. 2015 के बिन्दु संख्या 06 (01) में वर्णित प्रावधान अनुसार आकाशिय बिजली से पीड़ित व्यक्तिय को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. स.	आवेदन संख्या	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	वित्तीय स्वीकृति नं.	स्वीकृत राशि
01	AR/PART/2020/004588	श्री मुकेश पिता रमेशचन्द्र हरिजन(राठौड़) निवासी कारुण्डा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़	दिनांक 25.08.2020 को आकाशीय बिजली गिरने से पक्का मकान आंशिक होने पर	01874	5200 / -रु.
कुल योग					5200 / -रु.

(अक्षरे पांच हजार दौ सौ मात्र)

नोट:- इस राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:-
2245-01-800-(03)-[02]-12


(अनुपमा जोरवाल)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

दिनांक: / 03 / 2021

क्रमांक:- आ.प्र. एवं सहा./अग्नि/आ. बिजली/2019-20/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी।
5. तहसीलदार, छोटीसादड़ी।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
7. लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़